मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 1/2013

अनवान

1. नर्बदा देवी पत्नि शम्भूलाल जाति धाकड़ उग्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
2. प्रेम देवी पत्नि गोपाललाल जाति धाकड़ उग्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. खनि अभियन्ता महोदय खान एवं भू–विज्ञान विभाग बिजौलिया।
2. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय बिजौलिया।
3. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

डिक्री दिनांक :– 10.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य और प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जोशी हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 डिक्री किया जाता हैं। प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि मौजा खडीपुर में स्थित आराजी नं0 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदारी भूमि में क्वेरीलाईसेंसधारी व्यक्ति धूल मिटटी अथवा ब्लास्टींग से नुकसान नही पहुचायेगें। खातेदार की भूमि के पहुच मार्ग एवं कब्जे काश्त में कोई दखलनदाजी नही करेगें। इस हेतु अधिनस्त ब्लॉकधारियों को पाबन्द करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

नीज .....Nil.....मुद्दालिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil ...
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जि -भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली आ.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 1/2013 तारीख 10/01/2013

1. नर्बदा देवी पत्नि शम्भूलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
2. प्रेम देवी पत्नि गोपाललाल जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

.....वादीगण

बनाम

1. खनि अभियन्ता महोदय खान एवं भू–विज्ञान विभाग बिजौलिया
2. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय बिजौलिया
3. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188

उपस्थित – श्री गिरधारीलाल आचार्य
.....अभि वादी
.....श्री निर्मल कुमार जोशी
.....अभि प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 10.01.2019

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मौजा खडीपुर पटवार मण्डल सुखपुरा स्थित वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि की दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 की नोटीफाईड सेण्ड स्टोन खडीपुर सी खनिज बाउण्डरी स्थित है। जिसका राजस्व नक्शे में सुपर इम्पोज किया हुआ है। वादीगण की उतरी दिशा में कुछ राजकीय बिलानाम भूमि छोड़कर खनिज सेण्ड स्टोन खडीपुर की बाउण्ड्री के ब्लॉक स्थित है। वादीगण की खातेदारी भूमि के चारों दिशाओं में खनिज बाउण्डी के पूर्वी दिशा में ब्लाक नम्बर 35, 36, 37, 38 दक्षिण दिशा में ब्लाक नम्बर 27, 28 पश्चिम दिशा में ब्लाक नम्बर 12, 13, 17, 18 उत्तर दिशा में ब्लाक संख्या 15 व ब्लॉक नम्बर 38 का आंशिक भाग हैं। ब्लाक धारियों द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि व ब्लाकों के बीच पडी आंशिक सरकारी भूमि को अपने ब्लॉके के क्वेरी लाईसेंस में गेप फेट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 के यहां आवेदन कर जुड़वाना चाह रहें हैं। यदि ब्लाक धारियों को वांछित भूमि पर खनन हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई तो वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करना संभव नही रहेगा। खनन कार्य से वादीगण की खातेदारी भूमि प्रभावित होगी। खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगड़ जायेगा। माल निर्गमन और खनन कार्यवाही हेतु आने जाने वाले वाहनों के कारण फेलने वाले वायु प्रदूषण से वादीगण की खातेदारी भूमि में पैदावार नही हो सकेगी। वर्तमान में जिस प्रकार खनन कार्य हेतु विस्फोटको का उपयोग हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि के ओर पास में खनन कार्य के चलने से खातेदारी भूमि पर काश्त करना संभव नही रहेगा। वादीगण को वर्तमान समय में भी अपनी भूमि की रक्षा करना संभव नहीं हो रहा हैं क्योकि वादीगण द्वारा लगाई पत्थरों की दीवार को गिरा दिया जाता है विस्फोटको से उडने वाली मिट्टी व पत्थरों से फसल व मानव जीवन को खतरा बना रहता हैं। व खातेदारी भूमि में होने वाले कम्पन्न से कृषि खातेदारी भूमि का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा हैं।

यदि प्रतिवादीगण क्रमांक 1 नियमों की अनदेखी करते हुए खातेदारी भूमि से सटी भूमि पर क्वेरी लाईसेंस जारी किया जाता है तो वादीगण की खातेदारी भूमि के नष्ट प्रायः हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा तथा वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जायेंगें। कृषि भूमि को पड़त रखनी पड़ेगी। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर सुरक्षित रूप से काश्त करते रहे इसके लिए व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं जिससे वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दिनांक 22/12/2012 को धारा 80 सीपीसी का नोटीश भी प्रतिवादीगण को जारी किया गया हैं। वादपत्र वादीगण डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधी हैं। राज्य पक्ष की और से पेरवी करने हेतु पेनल लॉयर श्री निर्मल कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। पत्रांक एफ16–5 (A)(50)विधि/2017 दिनांक 11.03.2013 आदेशिका संलग्न पत्रावली हैं। श्री जोशी अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की ओर से भी इसी जवाब को यथावत मानने हेतु निवेदन किया। हस्ताक्षर फर्दअहकाम पर अंकित है। प्रतिवादी ने न्यायालय में अपूर्ण जवाब प्रस्तुत किया है। वादपत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए अंकित किया कि भूमि ग्राम खड़ीपुर में स्थित हैं। वादी की खातेदारी हैं। स्वीकार किया हैं किन्तु कृषि भूमि का उपयोग वादीगणों द्वारा नही किया जा रहा हैं। वादीगणों के नाम पर राजस्व खातें में दर्ज राजस्व आराजियात् के चारों दिशाओं में बिलानाम आराजी संख्या 2 मी खडीपुर का भाग स्थित हैं। एवं बिलानाम आराजियात् के बाद पूर्व दिशा में ब्लॉक न0 37–36 स्थित है। पश्चिम दिशा में ब्लॉक न0 15, 13 एवं 12 स्थित है। दक्षिण दिशा में ब्लॉक न0 17, 18, 27 एवं 28 स्थित है। ये सभी-ब्लॉक खनिज क्षैत्र खडीपुर सी के स्थित हैं।

वादी ने अपने वाद पत्र में यह अंकन नहीं किया कि किन ब्लॉक धारियों द्वारा गेप फेट के रूप में प्रार्थना पत्र दिये गये है। वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर अनुतोष चाहने के हिसाब से गलत एवं मोगम तथ्य अंकित किये गये है। अगर वादी द्वारा वादपत्र में यह अंकित किया जाता कि इन ब्लॉक के ब्लॉक धारियों द्वारा आवेदन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वादी उनको पक्षकार बनाता एवं जिन लोगों के हित एवं अधिकार वाद पत्र से प्रभावित हो रहे है बिना उन्हे पक्षकार बनाये यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह दावा स्वतः काबिल निरस्ती के है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र कही भी यह अंकन नही किया गया है कि वादी की आराजियात् में कोई खनन् पट्टा दिया जा रहा हैं। धारा 188 का वादपत्र केवल मात्र आराजी संख्या 1021/2 के लिए चलाया जा सकता है न की आराजी संख्या 2 मी खडीपुर के लिए। वादी द्वारा उक्त आराजियात् को खडीपुर सी खनन् क्षैत्र चालू होने के काफी वर्षों बाद स्वयं खनन् कार्य के लिए क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खनिज क्षैत्र खडीपुर सी बाउण्ड्री का गजट नोटिफीकेशन वर्ष 1996 में किया गया एवं उक्त बाउण्ड्री पर आवेदन पत्र दिनांक 25–3–96 को लिए गये एवं वर्ष 1996 से ही उक्त बाउण्ड्री में खनन् कार्य चालू है। जबकि वादीगणों द्वारा उक्त आराजी संख्या 1021/2 ग्राम खडीपुर को वर्ष 2005 में क्रय किया गया। एवं इन्तकाल संख्या 602 दिनांक 20–9–05 ई. को वादीगणों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी। एवं दर्ज राजस्व दिनांक से आज दिनांक तक उक्त आराजीयात् पर कभी भी कोई कृषि कार्य नहीं किया गया। न्यायालय को भ्रमित करने हेतु गलत तथ्यों का सहारा लिया गया। न्यायालय के समक्ष वादीगण स्वस्थ हाथों से नहीं आये हैं। वादीगणों द्वारा जमीन क्रय की गयी उससे पहले से ही खनिज बाउण्ड्री चालू थी।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अब तक कोई भी विधि विरूद्ध कार्य नियमों के विपरीत नहीं किया गया है। एवं अगर नई नीति के तहत सट्रीप ऑफ लेण्ड दिया जाना नियमों में होगा तो नियमानुसार ब्लॉकधारियों को भू–पटटी क्वारीलाइसेंस के साथ जोडी जायेगी। जब उनकी जमीन पर जाने हेतु पूर्व से ही खाने चल रही थी एवं 8 वर्ष तक भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब किस प्रकार होगा। प्रतिवादी ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र धारा 80 दिवानी प्रक्रिया संहिता की नोटिस अवधि समाप्ति दिनांक 22–2–13 से पूर्व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा वादपत्र प्रीमेच्योंर स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है। जो स्वतः ही खारिज योग्य है। धारा 80 (2) की स्वीकृति उसी स्थिति में दी जा सकती है जबकि वादीगणों द्वारा नोटिस दिये जाने का समय नही हो। न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण में अगर धारा 80 (2) की स्वीकृति दी गयी है तो वह विधि विरूद्ध होकर काबिल खारिज के है। एवं उक्त आदेश 80(2) निरस्त किया जाकर वादीगणों को वादपत्र लौटाया जावे। वादीगणों को कोई बिनायवाद प्राप्त नहीं हैं। वादीगणों का वादपत्र धारा 188 की परिधि में नहीं आने से काबिल निरस्ती के है। वादी केवल मात्र आराजी संख्या 1021/2 ग्राम खडीपुर बाबत् दावा लाया होता तो खातेदार होने के नाते चल सकता है। परन्तु वादीगणों द्वारा आराजियात् खातेदारी के चारों तरफ स्थित बिलानाम भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में स्थित है उसके लिये दावा वादीगण नहीं ला सकते है। वादीगणों का दावा बिलानाम आराजियात् बाबत् चलने योग्य नहीं है। दावा सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम खडीपुर की जमाबन्दी प्रति, नक्शा ट्रेस प्रति, नकल खनिज बाउण्डी के आदेश की प्रति, पंजीकृत सूचना पत्र जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

वादिया के वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वादियान मौजा खडीपुर स्थित आराजी –1021/2 रकबा 5 बीघा को कब्जेधारी खातेदार जिम्मे वादिया हैं।
2. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की खातेदारी भूमि पर पहुचने के लिए उपलब्ध रास्ते में गेप फेट दी जाकर वादिया की खातेदारी भूमि पर उसे करने से वंचित कर खनन कार्य वादियान की खातेदारी भूमि को क्षति कारित किये जोने के प्रयास किये जा रहे हैं। वादियान
3. आया वादियान का वादपत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण
4. आया धारा 80 सी पी सी कि नोटिस अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रस्तुत वाद प्रिमेच्योर हैं। प्रतिवादीगण
5. आया प्रतिवादीगण गेप फेट की नीति के तहत ब्लॉक धारियों को उनका आवंटन किया जा रहा हैं जो वैध है। प्रतिवादीगण

शहादतवादी में नर्बदा देवी पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 रमेशचन्द धाकड उपस्थित हुए जिनके बयान करवाये गये।
शहादत प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 श्री कमलेश्वर बारेगामा खनि अभियन्ता बिजौलिया को प्रस्तुत कर कथनलेखबद्ध करवाये गये।
पीडब्ल्यू 1 नर्बदा देवी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे व प्रेम देवी के नाम पर ग्राम खड़ीपुर में 5 बीघा भूमि है। इस जमीन पर खेती करते है, जिसकी सीमा बन्दी करा रखी है। फसल दोनों बोते है जमीन पर आते जाते है। मेरी जमीन के आस–पास खाने चल रहीं है। हमारी जमीन पर सरकारी रास्ते से जाते है। बलास्टींग से पत्थर आते है, आस–पास के खनन कर्ताओं द्वारा खनन कार्य करने से हमारी भूमि को नुकसान हो रहा हैं खान विभाग वाले हमारी जमीन तक खानों के पट्टे दे रहें हैं। हमारी जमीन के तीन तरफ आसपास वालों को पट्टे देने से खनन कार्य की वजह से धूल मिट्टीं उड़ती हैं। जिससे हमारी फसल खराब हो जायेगी। जिरह में लिखाया की इस जमीन को खरीदे 15 वर्ष हो गये हैं उससे पहले खाने चल रही हैं। हमारी जमीन के आसपास सरकारी जमीन हैं। आस पास की जमीन में खान चलाने के लिए आवेदन कर रखा है, याद नही है यदि किसी ने आवेदन नही किया हो तो भी जानकारी में नही है। खदान वाले कहते है कि हमने आवेदन कर रखा है। मै दिशा में नही समझती हूं कि खेत पर जाने का रास्ता किस दिशा में है।
पीडब्ल्यू 2 रमेशचन्द्र धाकड़ ने बयान में लिखाया कि वादी एवं वादी की जमीन को भी जानता हूं, उनकी जमीन खड़ीपुर में 5 बीघा है। जमीन पर काश्त होती है, इसके आस पास खाने है।

हमारी जमीन व खान के बीच में बिलानाम जमीन है। खानो वालों द्वारा बलास्टिंग करने से इस जमीन में खड़ी फसल खराब हो जाती है। नर्बदा देवी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। इसलिये सारी जानकारी है। जो जमीन बाउण्डरी और विवादग्रस्त भूमि के बीच में सरकारी जमीन पर खान वालों को पट्टे देने से हमारी जमीन खराब हो जायेगी व काश्त करना सम्भव नही रहेगा। जिरह लिखाया कि वादीया ने ये जमीन 2003 में खरीदी है। आस पास चलने वाली खडीपुर सी की खाने सन् 1995 से लगभग चल रही है। बिलानाम जमीन में खनन हेतु ब्लॉक नं0 28, 35, 36 में आवेदन कर रखा है। काश्त दर्ज है या नही राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही है।

वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से शहादतवादी बन्द की जाती हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में कमलेश्वर बारेगामा डीडब्लयू 1 उपस्थित जिसने बयान में लिखाया कि विवादित भुमि में वादीगणों द्वारा कभी काश्त नही की गई। खसरा गिरदावरी सन् 2005 – 2012 तक कोई काश्त दर्ज नहीं है, विवादित आराजी चारों ओर से आ नं0 2 बिलानाम सरकार एवं खनिज बाउन्ड्री खडीपुर सी से घिरी हुई है। खडीपुर सी बाउण्डी में 1996 से ही खनन कार्य चल रहा है। वादीगण द्वारा भुमि सन् 2005 में खरीदी गई है। खनिज विभाग के रेकार्ड अनुसार सन् 2005 से लेकर अब तक विवादित भूमि के उपयोग उपभोग को लेकर क्वारी लाइसेन्स धारियों व वादीगण के मध्य विवाद विवादित भूमि की सुरक्षा को लेकर नही हुआ हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

Scanned by CamScanner

वादीगण ने आ.नं0 2 मी के बाबत् अनुतोष चाहा है, जिसके वादीगण खातेदार नहीं है। वर्तमान में लागू एमएमसीआर में फेट, गेप दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता वादीगण जिरह में लिखाया कि खडीपुर सी बाउन्ड्री जिसके पास उक्त भूमि स्थित है, उसको कोई नोटिफिकेशन या डेलिनेटेड प्लान पेश नही किया हैं, मै यह नही बता सकता कि वादीगण की जमीन वादीगण से पहले जिस खातेदार को आवंटन हुई हो, उसकों 35 वर्ष हो गये हो यह बाउन्ड्री सन् 1996 में नोटिफाईड हुई थी जिसका नम्बर 2 हैं। यह सही हैं कि प्रर्दश 2 में बाउन्ड्री के रास्ते दर्शाये हुए नही हैं। खनन कार्य से वादीगण की भुमि पर कितनी परत मिट्टी जमा हों गयी हैं, मै यह नहीं बता सकता हूं, यदि खदान की मिट्टी उड़ती हैं तो फसल प्रभावित होगी। यदि खनिज बाउन्ड्री से प्रभावित और खनन कार्य से पड़ोसी खातेदार प्रभावित होते हैं तो क्वारी लाईसेन्सधारी को पाबन्द किया जा सकता हैं। मैरी जानकारी में ऐसी कोई रेकार्ड नहीं हैं जिसमें क्वारी लाईसेन्सधारी को पाबन्द किया गया हों।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकीलवादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया। तथा निवेदन किया गया कि वादीगण खातेदार हैं खातेदारी भूमि के समीप खनन कार्य व विस्फोटक होने से वादियागण सुरक्षित काश्त नही कर सकते हैं। भविष्य में खनि अभियन्ता खातेदारी भूमि के समीपस्थ खनन क्वेरी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत नहीं करे। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया। आराजी संख्या 2 की रिलिफ चाही हैं। वादियागण को इस आराजी के सम्बन्ध में वाद लाने का अधिकार नहीं हैं। आराजी नम्बर 1021/2 रकबा 5 बीघा का वाद ला सकते हैं। वादिया ने वर्ष 2005 में जमीन खरीदी हैं। हम गेप फेट मन्जूर नहीं कर रहे हैं वादीया ने धारा 80 सीपीसी की निर्धारित शर्तो की पालना नहीं की हैं। वादपत्र वादी सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रालवी का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तनकीवार विवेचन इस प्रकार हैं।

तनकी नम्बर 1 इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है।जमाबन्दी ग्राम खड़ीपुर संख्या 2058से 2061 के खाता संख्या 148 पर स्थित है आ. न. 1021/2 – बारानी 2 से वादीगण खातेदार है जिसे प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया हैं। अतः पर तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर 2 इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादी पर है। वादीगण को स्वयं की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए बिलानाम भूमि से होकर जाना होता हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1 खनि अभियन्ता द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि से सटी बिलानाम भूमि पर यदि पर स्ट्रीट ऑफ लेण्ड दी जाती हैं। तो वादीगण को आने जाने की दिक्कत हो जायेगी। वादीगण ने स्वयं के बयान में लिखाया हैं। कि प्रतिवादीगण ने अपने गवाह की भाग संख्या 12 में अंकित किया गया कि वादीगण वर्ष 2005 से वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं। वर्तमान में कोई गेप फेट स्वीकृत नही की जा रही हैं। राज्य सरकार की नई नीति आती है तो निर्देशानुसार पालना की जायेगी। प्रतिवादीगण ने स्वयं के जवाब में यह तथ्य भी अंकित किया कि विगत 8 वर्षों से स्वयं की खातेदारी भूमि तक पहुचने का नुकसान नहीं हुआ तो स्थिति में अब किस प्रकार होगा। वकील प्रतिवादी ने स्वयं की बहस में बताया कि वर्तमान में फेट गेप नही दी जा रही हैं। जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए रास्ते के रूप में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आ रहा हैं।

प्रतिवादी नं0 1 एमएमसीआर के नियमों के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबन्धित भूमि में प्रतिवादी नं0 1 कोई व्यवधान नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारी भूमि से सटी बिलानाम भूमि हैं। बिलानाम भूमि से होकर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर पहुचते हैं। यदि प्रतिवादीगण 1 के द्वारा जारी क्वेरी लाइसेन्स होल्डर द्वारा खातेदारी भूमि में कोई दखलनदाजी पहुचाते हैं। तो उन्हे रोके जाने का दायित्व प्रतिवादी नं0 1 का हैं। चूकि वादियगण खातेदार हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर 3 इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर हैं। चूकि भूमि खातेदारी में दर्ज हैं।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि को किसी अन्य पक्ष द्वारा दखलनदाजी की जाती है तो खातेदार राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगें। खातेदारी भूमि से सटी बिलानाम भूमि हैं।

बिलानाम भूमि की रक्षा करने का दायित्व भी लेण्ड होल्डर का हैं। अतः प्रस्तुत वादपत्र सुनने योग्य हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के पक्ष में तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर 4 – इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। जिसमें धारा 80 सीपीसी नोटिस अवधि पूर्ण होने से प्रस्तुत वाद प्रिम्योचोर है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने वादपत्र के साथ 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इससे दर्ज नोटीस भी वर्ष 2012 में 80 सीपीसी के तहत जारी किया। मामला वादोगण द्वारा तात्कालीक प्रकृति का मानने से 80 (2) वादपत्र की अनुमति न्यायालय से दिनांक 10–01–2013 को प्राप्त की जिससे प्रस्तुत वादपत्र वादी दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अतः वादपत्र प्रिम्योचोर होने का कोई प्रश्न नहीं हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर 5 इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि वर्ष 2016 से गेप फेट की नीति के तहत ब्लॉक धारियों को कोई आवंटन नही किया जा रहा हैं। वादीगण ने स्वयं की खातेदारी भूमि पर पहुचनें के लिए बिलानाम भूमि से रास्ता चाहा हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 भविष्य में गेप फेट की नीति प्राप्त होने पर भी रास्ते की भूमि में दखलनदाजी नही करेगें।

उक्तानुसार तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादपत्र वादी डिक्री किया जाता हैं। प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि मौजा खडीपुर में स्थित आराजी नं0 1021/2 रकबा 5 बीघा भूमि खातेदारी भूमि में क्वेरीलाईसेंसधारी व्यक्ति धूल मिटटी अथवा ब्लास्टींग से नुकसान नही पहुचायेगें। खातेदार की भूमि के पहुच मार्ग एवं कब्जे काश्त में कोई दखलनदाजी नही करे। इस हेतु अधिनस्त ब्लॉकधारियों को पाबन्द करें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 10/01/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

Scanned by CamScanner